न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 114 / 2019

अपीलान्ट

सीताराम पुत्र नथमल पंवार जाति माली निवासी दडाबास ताउसर तहसील व जिला नागौर हाल निवासी रामकोट ईदनबाग (तेलगांना)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 सीतुडी पत्नी स्व. नाथया जाति माली निवासी लक्ष्मी धर्मकांटा के पास, जोधपुर रोड नागौर। (फौत होने से नाम हटाया गया)
2 रामप्रसाद पंवार पुत्र जगनाथ जाति माली निवासी दडाबास ताउसर
3 मुन्नालाल पंवार पुत्र जगनाथ जाति माली निवासी दडाबास ताउसर।
4 भंवरलाल पंवार पुत्र जगनाथ जाति माली निवासी दडाबास ताउसर तहसील व जिला नागौर
5 तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता, रेस्पोडेंन्ट संख्या 02 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.12.2023

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नागौर मौजा ताउसर के नामान्तरकरण सं. 2437 निर्णय दिनांक 20.05.15 तत्पश्चात उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2669 दिनांक 31.05.17 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.09.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.10.19 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है, रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील अपीलांट ने दिनांक 04.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 सीतुडी पत्नी स्व. नाथिया जाति माली निवासी लक्ष्मी धर्मकांटा के पास, जोधपुर रोड नागौर का देहान्त हो जाने से और उसके कोई वारिसान नहीं होने से उसका नाम प्रकरण से हटाये जाने बाबत पेश किया। जिसको बाद सुनवाई आदेश दिनांक 27.09.2023 रेस्पोडेंट संख्या 01 सीतुडी का नाम प्रकरण से हटाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा ताउसर की जमाबंदी सम्वत् 2066 से 69 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र जगन्नाथ बहक सीताराम दिनांक 18.06.1973 की प्रमाणित फोटोप्रति, मौजा ताउसर के नामान्तरकण संख्या 2437 दिनांक 20.05.15 व नामान्तरण संख्या 2669 दिनांक 31.05.17 की प्रमाणित फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 11.02.20, अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 11.02.20 की फोटोप्रति, चार्जशीट दिनांक 14.12.20 की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 20.11.20 की फोटोप्रति व जमानत मुचलका दिनांक 19.07.22 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट ने स्व. जगनाथ पुत्र लिछमण कौम माली निवासी बडाबास ताउसर से उसके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 1 बीघा वाके सरहद मौजा ताउसर को प्रतिफल की राशि उसे अदा कर खरीद किया तथा उक्त खातेदार जगन्नाथ ने बहैसियत खुद व बहैसियत कर्ताखानदान के अपने परिवार के हित में अपनी बंटसुदा कब्जासुद खातेदारी की भूमि को विक्रय कर अपीलांट के पक्ष में उक्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1973 को निष्पादित कर दिनांक 18.06.1973 को उप पंजियक कार्यालय नागौर में पंजिबद्व करवा दिया, उक्त विक्रय पत्र की प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत को दे दी व अपीलांट को उसकी खरीदसुदा भूमि का नामान्तरकरण कर देने का आश्वासन दे दिया गया। चूंकि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे राजस्व अभिलेखो व कार्यवाहियो की ज्यादा जानकारी नहीं है, बाद में राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान देने का काम ही नहीं पडा व कालान्तर में अधिकतर मजदूरी हेतु हैदराबाद रहने लग गया और राजस्व रेकर्ड में बेचान की गयी भूमि खसरा नम्बर 429 की खतौनी में बेचानकर्ता जगन्नाथ का ही नाम दर्ज रहता चला आया व कालान्तर में बेचानकर्ता जगन्नाथ का देहान्त हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2437 को भरा गया जिसमें उसके वारीसान रेस्पोडेंट रामप्रसाद, मुनालाल, भंवरलाल ने मिलावट करके यह

अपर कलक्टर, नागौर

जानते हुए कि खसरा नम्बर 429 अपीलांट को बेचान किया हुआ है अपीलांट का ही कब्जा है फिर भी उस खसरे में अपने पिता के स्थान पर बाले बाले अपना नाम दर्ज करवा लिया व कालान्तर में हक त्याग से सीतुडी बेवा नाथिया, केसर बेवा रामनिवास 1/3 रामप्रसाद मुनालाल व भंवरलाल पिसरान जगन्नाथ 2/3 हिसाब से नामान्तरकरण संख्या 2669/दिनांक 31.05.2017 को बाले बाले स्वीकृत करवा लिया व अपीलांट से उक्त तथ्य छुपाये रखे और हाल ही में अपीलांट को उक्त रेस्पोडेंट्स ने यह धमकी दी कि तुम्हारा खरीदसुदा खेत तुम्हारे नाम नहीं हो सका है व अभी तक हमारे नाम से है इसलिए हम इसको बेचान करेंगे व बैंको/वित्तीय संस्थाओ के रहन कर बडी राशि ऋण की प्राप्त करने की धमकी दी तथा अपीलांट से बडी राशि उसके नाम म्यूटेशन करवाने के लिए मांगी तब अपीलांट के हौश उड गये व अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी करवाई पटवारी आदि से सम्पर्क करने पर अपीलांट को बताया गया कि उसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदसुदा भूमि का म्यूटैशन उसके नाम दर्ज नहीं है जिस पर अपीलांट ने उक्त म्यूटेशन व तमाम राजस्व रेकर्ड की नकलो के लिए आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 30.08.19 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई व उनको दिखा कर कानूनी सलाह लेकर अपील की तैयारी करके यह अपील पेश की गई। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– विवादित नामान्तरकरण जैर अपील कतेई गलत विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– विवादित नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व नामान्तरकरण हेतु बनी विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गयी, मौके पर कब्जे काश्त बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी तथा अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया न ही सुनवाई आदि का अवसर ही दिया। जबकि अपीलांट ने अपनी उक्त खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 1 बीघा मौजा ताउसर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति उसी समय संबंधित पटवारी, ग्राम पंचायत व तहसीलदार को दे दी थी व उसके नाम म्यूटेशन कर देने का आश्वासन दिया गया इसके बावजूद भी उनकी गलती व लापरवाही के कारण अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा रेस्पोडेंन्ट्स नहीं उठा सकते है रेस्पोडेंन्ट्स का विवादित म्यूटेशन से संबंधित खसरा नम्बर 429 रकबा 1 बीघा मौजा ताउसर से कोई सरोकार नहीं है न उनका कब्जा काश्त है न कोई हक अधिकार है बल्कि यह भूमि विधिवत परिवार हित में कर्ताखानदान की हैसियत से जगन्नाथ द्वारा विक्रय की हुई है व रेस्पो. रामप्रसाद की साख भी है बावजूद इन सभी तथ्यो की जानकारी के छल पकट व धोखाधडी करते है तथा अपराधिक षडयंत्र रचकर अपीलांट को सदोष हानि कारित करने व अपने आप को सदोष लाभ पहुंचाने के बेईमानी पूर्वक आशय से मिथ्या घोषणा कर मिलावटी ढंग से फर्जी नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करवाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट का मौके पर खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 1 बीघा मौजा ताउसर पर खरीद के वक्त से यानि 1973 से बहैसियत मालिक के कब्जा उपयोग उपभोग निरन्तर रहता चला आया है इसके बावजूद भी बिना मौके की जांच किये म्यूटैशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है जबकि म्यूटैशन स्वीकृति से पूर्व पटवारी व आर.आई.से मौके की जांच करवा कर रिपोर्ट ली जानी आवश्यक होती है यदि प्रकरण हाजा में ऐसी वास्तविक जांच करवाई जाती तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती व ऐसा नामान्तरकरण कतई नहीं भरा जा सकता था। यहा यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि किसी खरीददार द्वारा कीमत देकर विधिवत रूप से खातेदार से भूमि खरीद कर विक्रय पत्र पंजीयन करवाने व उसकी प्रति पटवारी वगैरा को देने के बावजूद उनकी गलती व लापरवाही के कारण नामान्तरकरण दर्ज नहीं होता है तो बेचानकर्ता के देहान्त के पश्चात उसके वारीसान उक्त बेचान की गयी भूमि के कतई मालिक हकदार नहीं हो सकते है यह एक भूल है इस भूल का नाजायज फायदा रेस्पोडेन्ट नहीं उठा सकते है तथा अपीलांट को उसकी खरीदसुदा भूमि से वंचित नहीं कर सकते है मगर जो भी हो वर्तमान में अपीलांट की खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 1 बीघा मौजा ताउसर के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट्स का नाम दर्ज है और वे उस गलत इन्द्राजी का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है व अपीलांट को भारी क्षति पहुंचाने पर आमादा है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण जैर अपील को निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम खसरा नम्बर 429 रकबा 1 बीघा मौजा ताउसर का नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत करवाने का आदेश दिया जाना प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है जिस हेतु अपील पेश की है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3} वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि एक अपील में दो नामान्तरकरण को एक साथ चेलेंज नहीं किया जा सकता, दोनो नामान्तरकरण के लिए अलग अलग अपील पेश करनी होती है। उक्त अपील मियाद बाहर है, यह मियाद पर ही खारिज किये जाने योग्य है। फौजदारी मुकदमो के दस्तावेज राजस्व मामलो में साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य नहीं होते है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1960 पेज 298 से 299 नजीर पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनो नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया के तहत् भरे है जो यथावत् कायम रखा जावे तथा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नागौर मौजा ताउसर के नामान्तरकरण सं. 2437 निर्णय दिनांक 20.05.15 तत्पश्चात उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2669 दिनांक 31.05.17 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनो नामान्तरकरण एक दूसरे से संबंधित एवं एक ही कार्यवाही के तहत भरे होने के कारण उनको साथ सुना जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 18.06.1973 जो रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 के पिता जगन्नाथ द्वारा सीताराम के पक्ष में पंजीबद्व किया गया था और रेस्पोडेंट संख्या 02 रामप्रसाद पंवार पुत्र जगन्नाथ को उक्त पंजीबद्व विक्रय पत्र में अपनी साख दी गई थी जिससे रेस्पोडेंट संख्या 2 रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ को उक्त विक्रय पत्र की जानकारी होना सिद्व होता है। जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं किया गया है। ना ही पंजीबद्व विक्रय पत्र को किसी सिविल न्यायालय में चेलेंज किया जाना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व संबंधित पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। अपीलांट को उक्त कार्यवाही से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नही होता है। नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा ताउसर के नामान्तरकरण सं. 2437 निणय दिनांक 20.05.15 तत्पश्चात उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2669 दिनांक 31.05.17, उक्त दोनो नामान्तरकरणों को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर